कार्यालयः—मुख्य अग्निशमन अधिकारी सीतापुर ।

पत्र संख्याः—आई—27(रिटेल आउटलेट) / 2015 दिनांकःनवम्बर 21 ,2017

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
सीतापुर ।

विषयः—उप प्रवन्धक रिटेल सेल्स में0 इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, सीतापुर द्वारा भूमि खसरा नं0 314 ग्राम पुरैनी, तहसील बिसवॉ जनपद सीतापुर (बिसवॉ—बहराइच रोड) पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा विषयक आख्या प्रेषित किया जाना।

....

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः—बीस—सी0एफ0 / अना0प्र0पत्र / इं0आ0का0लि0—पुरैनी बिसवां / आ0लि0 / 3084 दिनांकः 03 नवम्बर, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांकः 31. 03. 2015 में उल्लेखित निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन सीतापुर की आख्या दिनांकः18.03.2015 के अनुसार उप प्रवन्धक रिटेल सेल्स में0 इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, सीतापुर द्वारा भूमि खसरा नं0 314 ग्राम पुरैनी, तहसील बिसवॉ जनपद सीतापुर (बिसवॉ—बहराइच रोड) में प्रस्तावित पर प्लाट एरिया 34.30X34-50 मीटर अंकित है परन्तु प्रस्तावित स्थ्ल का प्लाट एरिया कम है।जबकि उप जिलाधिकारी बिसवॉ सीतापुर द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकः 19 / 21 अगस्त, 2015 के अनुसार संलग्न साइट प्लान को प्रमाणित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

उक्त सम्बन्ध में मूल रूप से आख्या इस आशय से वापस की गयी है कि उक्त डीजल / पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का पुनः निरीक्षण कर आख्या शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण में मानचित्र के सापेक्ष स्थलीय निरीक्षण कराया गया मानचित्र में प्लाट एरिया 34.30X34-50 मीटर का प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि 35X35 मीटर तथा 30X30 मीटर दोनों माप के आवेदन प्रायः प्राप्त होते हैं यदि पेट्रोलियम कम्पनी व राजस्व विभाग को काई आपत्ति नहीं है तो उक्त क्षेत्रफल के लिये अग्निशमन विभाग द्वारा उप प्रवन्धक, रिटेल सेल्स में0 इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, सीतापुर द्वारा भूमि खसरा नं0 314 ग्राम पुरैनी, तहसील बिसवॉ जनपद सीतापुर (बिसवॉ—बहराइच रोड) पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने की अनुमति हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि आवेदक उपरोक्त स्थल पर रिटेल आउटलेट को स्थापित करने के उपरान्त एवं उसमें पेट्रोलियम पदार्थ के स्टोर व बिक्री किये जाने के पूर्व निम्न अग्नि सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर लेगा एवं मुख्य अग्नि शमन अधिकारी सीतापुर से निम्नांकित निर्देशित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का सत्यापन कराना एवं प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा ।

1.प्रत्येक डिस्पेसिंग युनिट पर 02 अदद ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्युशर क्षमता 10 के0जी0 का आई0एस0 2190 के अनुरूप अधिष्ठापित किया जायेगा ।
2.जनरेटर हेतु 02 अदद आई0एस0आई0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्युशर 10 के0जी0क्षमता का रखा जाना आवश्यक होगा ।
3.फायर बकेट सैण्ड 08 अदद राउण्ड बाटम मय स्टैण्ड क्षमता 09 लीटर का अधिष्ठापन आवश्यक होगा ।
4.पर्याप्त मात्रा में बालू का रिजर्व स्टाक एवं दो बेल्चा रखा जाना आवश्यक होगा ।
5.धूम्रपान निषेध की पटिटका को लगाया जाना आवश्यक होगा ।
6.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर फ्लेम प्रूफ लाइटों का ही प्रयोग किया जायेगा ।
7.जनरेटर का एग्झास्ट पाइप बाहर की ओर रखेंगे तथा एग्झास्ट पाइप में स्पार्क एरेस्टर लगवाना सुनिश्चित करेंगे ।
8.अण्डर ग्राउण्ड एमएस / एचएसडी टैंक की अर्थिंग नियमानुसार कराना सुनिश्चित करेंगे ।
9.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर ओ.आई.एस.डी.मानकों का एवं पेट्रोलियम व तथा रूल्स का अनुपालन करना होगा ।
10.पेट्रोल पम्प कम्पाउण्ड के ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर नहीं जाना चाहिये ।
11.निकटतम फायर स्टेशन के दूरभाष नं0 को प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा ।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र ।

विकास वर्मा/VIKAS VERMA
वरिष्ठ प्रबन्धक (खुदरा बिक्री)/Sr. Manager (RS)
लखनऊ मण्डलीय कार्यालय/Lucknow Divisional Office
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि०/Indian Oil Corporation Limited
कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ/Kapoorthala Complex, Aliganj, Lucknow

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
खीरी, अग्निशमनअधिकारी
सीतापुर

प्रतिलिपिः— उप प्रवन्धक रिटेल सेल्स में0 इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, सीतापुर को अनुपालन हेतु प्रेषित ।